

प्रेषक,

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

सेवा में,

समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक—परिषद—९/ १२५६

दिनांक— १३.३.१८

विषय—सत्र—२०१८—१९ से कक्षा—९ में प्रारम्भिक गणित विषय समाप्त किये जाने के संबंध में।
महोदय / महोदया,

ज्ञातव्य है कि शासन ने अपने पत्र संख्या—१९१/१५-७-२०१८-१(२३) / २०१७ दिनांक—७ मार्च, २०१८ द्वारा शैक्षिक सत्र—२०१८—१९ से कक्षा—९ में प्रारम्भिक गणित विषय को समाप्त कर दिया है।

इस संबंध में अपने जनपद के समस्त मान्यता प्राप्त राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/अशासकीय गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की एक बैठक आहूत कर निम्नांकित व्यवस्था से उन्हें अवगत करा दें।

१—दिनांक—०१ अप्रैल, २०१८ से प्रारम्भ हो रहे शैक्षिक सत्र—२०१८—१९ में कक्षा—८ की परीक्षा उत्तीर्ण कर कक्षा—९ में प्रवेश लेने वाले सभी बालकों का प्रवेश अब केवल अनिवार्य विषय गणित में ही लिया जायेगा।

२—कक्षा—८ की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात कक्षा—९ में प्रवेश लेने वाली बालिकाएं जो अनिवार्य विषय गणित नहीं लेना चाहती हैं, उन्हें पूर्व की भाँति गृह विज्ञान विषय का चयन करने की सुविधा रहेगी।

३—शैक्षिक सत्र—२०१७—१८ में कक्षा—९ में प्रारम्भिक गणित विषय उत्तीर्ण करने वाले बालक/बालिकाएं शैक्षिक सत्र—२०१८—१९ में कक्षा—१० में प्रारम्भिक गणित विषय का अध्ययन पूर्व की भाँति करते हुये वर्ष—२०१९ की कक्षा—१० की सार्वजनिक परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। उनके लिए वही पाठ्यक्रम निर्धारित रहेगा, जो वर्ष—२०१८ की सार्वजनिक परीक्षा हेतु लागू है।

४—वर्ष—२०२० की कक्षा—१० की सार्वजनिक परीक्षा में प्रारम्भिक गणित विषय की परीक्षा का आयोजन नहीं कराया जायेगा।

भवदीय

(नीना श्रीवास्तव)

सचिव।

पृष्ठांकन संख्या—परिषद—९/

दिनांक—

उक्त की प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

१—उपसचिव, उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा—७ अनुभाग, सचिवालय, लखनऊ।

२—शिक्षा निदेशक (मा०) एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

३—समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।

४—क्षेत्रीय सचिव, मा०शि०प०, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ, बरेली, इलाहाबाद, वाराणसी एवं गोरखपुर।

५—उपसचिव, सिस्टम सेल, मुख्यालय, इलाहाबाद।

(नीना श्रीवास्तव)

सचिव।